रजिस्टर्ड नं० एल० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 4 जनवरी, 1971

पौष 14, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 6145/17—245–70

लखनऊ, 4 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 2 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1952

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

अधिनियम, संख्या 33, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खंड (एच) के भाग (ii) को निकाल दिया जाय।

धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लगाया जाना

"3—(1) आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए :

(क) किसी लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) किसी लाइसेंसी या बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक या आवासिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने वाले भू-गृहादि में, अथवा किसी अन्य भू-गृहादि में, अपने वर्क्स के निर्माण, बनाये रखने या चलाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपभुक्त एनर्जी, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत् जनन के अपने स्रोत से उपभुक्त एनर्जी, पर एक ड्यूटी (जिसे आगे "एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी" कहा गया है) लगायी जायगी और जिसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा और जो ऐसी दर या दरों पर निर्धारित की जायगी जिसे राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और ऐसी दर या तो चार्ज की दर के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में या प्रति यूनिट निर्दिष्ट धनराशि के रूप में निश्चित की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की दर के पचीस प्रतिशत से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बन पार्ट टैरिफ की दशा में, यदि इकाई मूल्य प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक हो तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जा सकेगी और न ही इकाई मूल्य के साथ जोड़ देने पर वह कुल मिलाकर प्रति यूनिट चालीस पैसे से अधिक होगी, तथा इसके अधीन रहते हुए, यह ड्यूटी एक पैसे से कम या प्रति यूनिट छः पैसे से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपभुक्त अथवा उसके या अपने भागीदारों, निदेशकों, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर सम्भरित एनर्जी, यथास्थिति, लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को, उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में लागू दरों पर बेची गयी एनर्जी समझी जायगी।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के सम्बन्ध में, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या छः पैसे से अधिक न होगी।

(4) राज्य सरकार, लोक हित में, किसी क्षेत्र में एनर्जी के सम्भरण के लिए वर्तमान मूल्यों को, किसी संयंत्र की विद्युत् जनन क्षमता को औद्योगिक उत्पादन की सामान्यतया अथवा उसके किसी निर्दिष्ट वर्ग को बढ़ाने की आवश्यकता को, और किसी अन्य सुसंगत बात को ध्यान में रखते हुये, या तो एनर्जी के विभिन्न वर्गों के उपभोग के सम्बन्ध में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की विभिन्न दरें निश्चित कर सकती है अथवा उसका भुगतान करने से कोई भी छूट दे सकती है।

(5) निम्नलिखित पर कोई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी, या

(ग) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार को बेची गयी एनर्जी,

(घ) किसी कृषक (cultivator) द्वारा ऐसे कृषि कार्यों (agricultural purposes) में जो उसके खेतों पर या उनके निकट किये जायं तथा सिंचाई के लिए पानी को पम्प द्वारा उठाना, उन खेतों की उपज का कुचलना या पेरना, पीसना या उपभोग के लिए अन्य क्रिया करना (crushing, milling and treating) या चारा काटना।

धारा 3-क का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3-क निकाल दी जाय।

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा 4, 4-क और 4-ख रख दी जायें, अर्थात् :— धारा 4 के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

"4—(1) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, राज्य सरकार को निम्नलिखित के द्वारा दी जायगी :— एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उसके ब्याज का भुगतान

(क) जब एनर्जी लाइसेन्सी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो लाइसेन्सी द्वारा ;

(ख) जब एनर्जी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्भरित की जाय अथवा बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त की जाय, तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा; और

(ग) जब एनर्जी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ही विद्युत् जनन स्रोत से उपभुक्त की जाय, तो ऐसी एनर्जी जनित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।

(2) यदि उपर्युक्त के अनुसार नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि का भुगतान न किया जाय तो, यथास्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, उस एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो, अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, तब तक ब्याज का देनदार होगा जब तक कि उसका भुगतान न कर दिया जाय ।

4—क(1) किसी लाइसेन्सी, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी पर धारा 3 के अधीन देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि यथास्थिति लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता से वसूल की जा सकती है । उपभोक्ताओं से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति

(2) उपभोक्ता से एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि वसूल करने के उद्देश्य से, यथास्थिति, लाइसेन्सी या नियुक्त प्राधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्सी को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है मानो कि उक्त ड्यूटी ऐसे उपभोक्ता को सम्भरित एनर्जी के सम्बन्ध में चार्ज अथवा देय धनराशि हो । ऐक्ट संख्या 9, 1910

4—ख(1) यदि तदर्थ नियत किसी प्राधिकारी की राय में एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए देनदार लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ड्यूटी देने से छलपूर्वक बचता है अथवा बचने का प्रयास करता है, चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियों को प्रस्तुत करके, सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी को छिपाकर, अथवा किसी अन्य उपाय से करता हो, तो, यथास्थिति, लाइसेन्सी, बोर्ड या अन्य व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, उक्त ड्यूटी के अतिरिक्त दन्ड के रूप में ऐसी ड्यूटी की, जिसे छलपूर्वक बचाया गया हो अथवा जिसे बचाने का प्रयास किया गया हो, धनराशि के चार गुने से अनधिक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो उक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय : कतिपय दशाओं में दण्ड, शुल्क का भुगतान किया जायगा

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्सी, बोर्ड या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही न की जायगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसा शुल्क देने पर, जो नियत किये जायं, की जायगी ।

(3) अपीलीय प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का कार्यान्वित किया जाना पूर्णतः या अंशतः और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।"

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में— धारा 5 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में,—

(क) प्रथम पैरा में शब्द "नियुक्त प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द "अथवा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए देनदार अन्य व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं ;

(ख) खण्ड (क) में शब्द "उपभोक्ता को देने के लिये" के स्थान पर, शब्द "पारेषण या पूर्ति करने के लिए" रख दिये जायें ;

(ग) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) प्रत्येक श्रेणी के उपभोग पर अलग-अलग देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि और धारा 4-क के अधीन वसूल की गयी धनराशि" ; और

(घ) खण्ड (ग-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्;—

"(ग-क) धारा 4 के अधीन देय ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, और धारा 4-ख के अधीन अवधारित दण्ड शुल्क की धनराशि, यदि कोई हो"; और

(2) उपधारा (2) में "शब्द प्रत्येक लाइसेन्सी अथवा नियुक्त प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" रख दिये जायें और शब्द "ऐसे आकार और रीति में" के पश्चात् कामा तथा शब्द "ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी अवधि के भीतर" रख दिये जायें।

धारा 7 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्,—

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि की वसूली

"(1) यदि धारा 3, धारा 4, या धारा 4-ख के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या ब्याज अथवा दण्ड शुल्क के मद्दे देय कोई धनराशि नियत अवधि के भीतर राज्य सरकार को अदा न कर दी गयी हो तो वह मालगुजारी की बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल की जा सकेगी:—

(क) लाइसेन्सी द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में—लाइसेन्सी से;

(ख) बोर्ड द्वारा सम्भरित या उपभुक्त एनर्जी की दशा में—बोर्ड से; और

(ग) एनर्जी जनन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभुक्त एनर्जी की दशा में उस व्यक्ति से जो इस अधिनियम के अधीन उक्त ड्यूटी का देनदार हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार—

(क) किसी लाइसेन्सी या बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट सकती है जो राज्य सरकार द्वारा लाइसेन्सी या बोर्ड को देय हो, या

(ख) किसी लाइसेन्सी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से देय किसी धनराशि की दशा में, बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उक्त धनराशि को किसी ऐसी धनराशि में से काट ले जो उसके द्वारा लाइसेन्सी को देय हो और इस प्रकार काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को दे दे।"

धारा 8 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 8 की संख्या बदल कर उसे उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्,—

"(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 में उल्लिखित कोई ऐसा अभिलेख रखता है या कोई ऐसा नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसके सम्बन्ध में उसे यह जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किसी सारवान विवरण में मिथ्या है अथवा सत्य नहीं है, तो वह अर्थ दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये से अधिक न होगा।"

नयी धारा 8-क, 8-ख और 8-ग का बढ़ाया जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्,—

अपराध संज्ञान

"8-क—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो नियत किया जाय, परिवाद न किया जाय।

कम्पनियों द्वारा अपराध

8-ख—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी और उसके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौन अनुमति से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरी, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है।

8-ग—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के बन्ध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।" सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

10—मूल अधिनियम की धारा 9 निकाल दी जाय। धारा 9 का निकाला जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— धारा 10 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"10—(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है,—

(क) रीति जिसके अनुसार तथा अवधि जिसके भीतर धारा 4 के अधीन एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या उसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा;

(ख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखे जायेंगे और विवरण जो उनमें दिये जायेंगे;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार, अवधि जिसके भीतर, और प्राधिकारी जिसे, धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नक्शे प्रस्तुत किये जायेंगे;

(घ) रीति जिसके अनुसार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए एनर्जी की इकाइयां सुनिश्चित की जायेंगी;

(ङ) कर्त्तव्य जिनका पालन और अधिकार जिनका प्रयोग धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी करेंगे;

(च) प्राधिकारी जो धारा 4-ख की उपधारा (1) के अधीन देय शास्ति अवधारित करेगा और अवधि जिसके भीतर इसका भुगतान किया जायगा;

(छ) प्राधिकारी जिसे, अवधि जिसके भीतर, और शुल्क जिसके दिये जाने पर, धारा 4-ख की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकेगी;

(ज) अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए परिवाद कर सकते हैं,

(झ) कोई अन्य विषय जिसे नियत किया जाना हो या निगत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

12—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का अध्याय 3 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1970 के अध्याय 3 का निरसन

No. 6145/XVII—245-70

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 2, 1971:

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT NO. 2 OF 1971)

[AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE]

AN

ACT

further to amend the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :— U. P. Act XXXIII of 1952.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Duty) (Amendment) Act, 1970. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by fication in the *Gazette* appoint.

Amendment of part (ii) of sub-section (*h*) of section 2.

2. In Section 2 of the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952, here in after ref to as the principal Act, in clause (*h*), part (ii) shall be *omitted*.

Substitution of new section for section 3.

3. *For* section 3 of the principal Act, the following section sha *substituted*, namely,—

Levy of electricity duty.

"3. (1) Subject to the provisions hereinafter contained, there shal levied for and paid to the State Government on the energy—

(*a*) sold to a consumer by a licensee, the Board, the State Gov ment or the Central Government ; or

(*b*) consumed by a licensee or the Board in or upon premises used commercial or residential purposes, or in or upon any other premi except in the construction, maintenance or operation of his or works ; or

(*c*) consumed by any other person from his own source of gene tion,—

a duty (hereinafter referred to as 'electricity duty') determined at su rate or rates as may from time to time be fixed by the State Government notification in the *Gazette*, and such rate may be fixed either as a spe fied percentage of the rate charged or as a specified sum per unit.

(2) In respect of clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1), the electric duty shall not exceed twenty-five per cent of the rate charged :

Provided that in the case of one-part tariff, the electricity duty shall n be leviable if the unit charge exceeds forty paise per unit nor shall it, wh added with the unit charge, exceed in the aggregate forty paise per uni and subject thereto, shall not be less than one paisa per unit or more th six paise per unit.

Explanation—For the purposes of calculation of electricity duty as afor said, energy consumed by a licensee or the Board or supplied free of char or at concessional rates to his or its partners, directors, members, offic or servants shall be deemed to be energy sold to consumers by the licens or the Board, as the case may be, at the rates applicable to other consum of the same category.

(3) In respect of clause (*c*) of sub-section (1), the electricity duty shall n be less than one paisa or more than six paise per unit.

(4) The State Government may, in the public interest, having regard t the prevailing charges for supply of energy in any area, the general capacity of any plant, the need to promote industrial production general or any specified class thereof and other relevant factors, either fix differe rates of electricity duty in relation to different classes of consumption energy or allow any exemption from payment thereof.

(5) No electricity duty shall be levied on—

(*a*) energy consumed by the Central Government or sold to t Central Government for consumption by that Government ; o

(*b*) energy consumed by the State Government or sold to the Stat Government for consumption by that Government ; or

(*c*) energy consumed in the construction, maintenance or oper tion of any railway by the Central Government or sold to that Gover ment for consumption in the construction, maintenance or operatio of any railway ;

(*d*) by a cultivator in agricultural operations carried on in or near his fields such as the pumping of water for irrigation, crushing, milling or treating of the produce of those fields or chaff-cutting."

Omission of section 3-A.

4. Section 3-A of the principal Act shall be *omitted*.

Substitution of section 4 for new Sections 4, 4-A and 4-B.

5. *For* section 4 of the principal Act, the following new sections 4, 4-A and 4-B shall be *substituted*, namely :

Payment of electricity duty and interest thereon.

"4. (1) The electricity duty shall be paid, in such manner and within such period as may be prescribed, to the State Government—

(*a*) where the energy is supplied or consumed by a licensee,—by the licensee ;

(*b*) where the energy is supplied by the State Government or the Central Government or is supplied or consumed by the Board,—by the appointed authority ; and

(*c*) where the energy is consumed by any other person from his own source of generation,—by the person generating such energy.

(2) Where the amount of electricity duty is not paid to the State Government within the prescribed period as aforesaid, the licensee, the Board or other person mentioned in clause (*c*) of sub-section (1), as the case may be, shall be liable to pay within such period as may be prescribed, interest at the rate of eighteen per cent. per annum on the amount of electricity duty remaining unpaid until payment thereof is made.

Reimbursement of electricity duty from consumers.

4-A. (1) The amount of electricity duty payable under section 3 on the energy supplied to a consumer by a licensee, the State Government, the Central Government, or the Board, may be recovered by the licensee or the appointed authority, as the case may be, from the consumer.

(2) For the purpose of recovering the amount of electricity duty from the consumer, the licensee or the appointed authority, as the case may be, may, without prejudice to any other mode of recovery, exercise the powers conferred on the licensee under sub-section (1) of section 24 of the Indian Electricity Act, 1910, as if the duty were a charge or sum due in respect of energy supplied to such consumer.

Act IX of 1910.

Penal duty to be paid in certain cases.

4-B. (1) If in the opinion of an authority prescribed in that behalf, the licensee, the Board or other person liable to pay electricity duty evades or attempts to evade the payment of the duty, whether by maintaining false records, submitting false returns, concealing the energy supplied or consumed, or by any other means, the licensee, the Board or other person, as the case may be, shall pay by way of penalty within such time as may be prescribed, in addition to the said duty, a sum, not exceeding four times the amount of duty so evaded or attempted to be evaded, to be determined by such authority :

Provided that no action under this sub-section shall be taken without giving a reasonable opportunity of being heard to the licensee, the Board, or such other person.

(2) An appeal shall lie from an order passed under sub-section (1) to such authority, within such period, and on payment of such fee, as may be prescribed.

(3) The appellate authority may confirm, set aside or modify the order appealed from, and pending the disposal of the appeal, stay the operation of the order wholly or partially and on such terms as it thinks fit."

Amendment of section 5.

6. In section 5 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(*a*) in the opening paragraph, *after* the words "an appointed authority," the words "or other person liable to pay electricity duty" shall be *inserted* ;

(*b*) in clause (i), *for* the words "supply to the consumers", the words "transmission or supply" shall be *substituted* ;

(*c*) *for* clause (iii), the following shall be *substituted*, namely,—

"(iii) the amount of electricity duty payable separately on each category of consumption and the amount recovered under section 4-A ;" and

(*d*) *for* clause (iii-*a*) the following shall be *substituted*, name

"(iii-*a*) the amount of interest, if any, payable under 4 and the amount of penal duty, if any, determined under 4-B;"and

(ii) in sub-section (2), *for* the words "Every licensee and every au authority" the words "Every person" shall be *substituted* and words "in such form and manner" the commas and words, authority and within such period," shall be *inserted*.

Substitution of new section for section 7.

7. *For* section 7 of the principal Act, the following section shall be *sub* namely,—

Recovery of electricity duty, etc.

"7. (1) Any sum due on account of electricity duty or interest o duty under section 3, section 4 or section 4-B, if not paid within scribed period to the State Government, shall be recoverable as an of land revenue—

(*a*) in the case of energy supplied or consumed by a licensee the licensee ;

(*b*) in the case of energy supplied or consumed by the Board the Board ; and

(*c*) in the case of energy consumed by any other person get it,—from the person liable to pay such duty under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), th Government may,—

(*a*) in the case of any such sum as aforesaid being due from a l or the Board, deduct the sum from any amount payable by th Government to the licensee or the Board ; or

(*b*) in the case of any such sum as aforesaid being due f licensee, require the Board to deduct the sum from any amount p by the Board to the licensee and to pay the sum so deducted State Government."

Amendment of section 8.

8. The existing section 8 of the principal Act shall be *re-numbered* section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so *renumbered*, the followi sub-section shall be *inserted*, namely,—

"(2) If any person keeps any record or submits any return speci section 5, which he knows or has reasonable cause to believe to be fa not true in any material particular, he shall be punishable with a fi exceeding one thousand rupees."

Insertion of new sections 8-A, 8-B and 8-C.

9. *After* section 8 of the principal Act the following new sections sh *Inserted*, namely,—

Cognizance of offences.

"8-A. No court shall take cognizance of an offence under thi except on a complaint made by such officer as may be prescribed.

Offences by companies.

8-B. (1) If the person committing an offence under this Act is a pany, the company as well as every person in charge of, and respo to, the company for the conduct of its business, at the time of the mission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render an person liable to any punishment if he proves that the offence was mitted without his knowledge or that he exercised all due diligen prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), wh offence under this Act has been committed by a company and it is p that the offence has been committed with the consent or connivanc or that the commission of the offence is attributable to any neglect o part of, any managing agents, Secretaries and Treasurers, Director, M Secretary or other officer, such managing agents, Secretaries and Trea Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be gu that offence, and shall be liable to be proceeded against and pu accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(*b*) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection for acts done in good faith.

8-C. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against an officer or servant of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any provision of this Act or of any rule or order made thereunder.

Omission of section 9.

10. Section 9 of the principal Act shall be *omitted*.

Substitution of a new section for section 10.

11. *For* section 10 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely,—

Power to make rules.

"10.(1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(*a*) the manner in which and the period within which the electricity duty or interest thereon shall be paid to the State Government under section 4 ;

(*b*) the form and manner in which records shall be maintained under sub-section (1) of section 5 and the particulars which shall be shown therein ;

(*c*) the form and manner in which, the period within which and the authority to whom, returns shall be submitted under sub-section (2) of section 5 ;

(*d*) the manner in which the units of energy shall be ascertained for the purposes of clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of section 5 ;

(*e*) the duties that shall be performed and powers that shall be exercised by inspecting officers appointed under section 6 ;

(*f*) the authority which shall determine the penalty payable, and the period within which it shall be paid, under sub-section (1) of section 4-B ;

(*g*) the authority to whom, the period within which and the fee on payment of which, appeal shall lie under sub-section (2) of section 4-B ;

(*h*) the officers who may make complaints for prosecution under this Act ;

(*i*) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days in its one session, or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to anything previously done thereunder.

Repeal of Chapter 3 of Uttar Pradesh Ordinance No. 14, 1970.

12. U. P. Taxes and Fees Laws (Amendment) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

संयुक्त सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 279 गजट, (हिन्दी)—1971—2035+250+100 (मे०) ।